

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1276/2026

विश्वनाथ दोहरे

बनाम

सरकार

दिनांक-18.06.2026

आज यह जमानत प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवायी पेश हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दौरान पेशी जमानत प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ के हाशिये पर लिखित कथन किया गया कि वह जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहता है।

चूँकि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से लिखित कथन किया गया है कि वह जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहता है। ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०),
कानपुर देहात।